बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)
द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: +91-612-2520960, फैक्स:+91-612-2535900, website: www.icdsbih.gov.in

पत्रांकः– ICDS/40020/03-2013 /.....1208 दिनांकः–.....12/03/2013

प्रेषक,

प्रवीण किशोर, भा.रा.से.,
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,

विषयः– **ऑगनबाड़ी केन्द्रों का वार्ड आधारित परिसीमन के संबंध में।**

प्रसंगः– **पत्रांक ICDS/40020/01-2012 /3609, दिनांक 09.10.2012, 622 दिनांक 16.02.2012, 1664 दिनांक 08.05.2012, 3610 दिनांक 09.10.2012, एवं 4572 दिनांक 11.12.2012**

महाशय,

राज्य सकरार के निर्णय के अनुसार राज्य के सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों का परिसीमन दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 से वार्डो से सहसीमांत कर दिया गया है। इस क्रम में उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा इस प्रक्रिया के अनुपालन हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

उपरोक्त प्रक्रिया के दौरान कुछ ऑगनबाड़ी केन्द्रों तथा फलस्वरूप कुछ सेविकाओं एवं सहायिकाओं की शिफ्टिंग की जानी है। कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों से इस प्रक्रिया के अनुपालन में कठिनाईयों की रिपोर्ट आ रही है। उपरोक्त के आलोक में समाज कल्याण विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि –

1. दिनांक 23.03.2013 को 10:30 बजे पूर्वाह्न से मंत्रिमंडल, सचिवालय सभागार, पटना में राज्य के सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रत्येक जिले से ग्रामीण परियोजना की एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा मनोनित) की बैठक बुलाई जाय एवं इस प्रक्रिया के संचालन एवं पूर्ण करने में आने वाली कठिनाईयों पर विस्तृत विमर्श कर निर्णय लिया जाय।
2. दिनांक 23.03.2013 को पटना में आयोजित बैठक से पूर्व सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने–अपने जिले में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ बैठक कर ऑगनबाड़ी केन्द्र के वार्ड वाईज पूनर्गठन में हो रही समस्याओं से अवगत हो लेगें तथा उसकी बिन्दुवार विवरणी तैयार कर राज्य स्तरीय बैठक में लायेंगे जिसकी उक्त बैठक में चर्चा की जायेगी।
3. तत्काल प्रभाव से वैसे सभी मामलों में जहाँ ऑगनबाड़ी केन्द्रों/ सेविकाओं/ सहायिकाओं की शिफ्टिंग अभी नहीं हुई है, को अगले निर्णय तक स्थगित रखा जाय। वैसे सभी मामले जहाँ यह शिफ्टिंग हो चुकी है, इस निर्णय से प्रभावित नही होगें।
4. इसके साथ ही सेविकाओं/ सहायिकाओं के चयन प्रक्रिया को भी स्थगित रखा जाय।
5. अतः आप सभी को निदेश दिया जाता है कि उक्त बैठक में उक्त तिथि को निर्धारित स्थल पर ससमय भाग लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन
12/3/13
(प्रवीण किशोर)
निदेशक

ज्ञापांक :– ICDS/ 40020/03-2013 /.....1208 दिनांकः–.....12/03/2013
प्रतिलिपि :– संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सचिव, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक